



**प्रेस रिलीज**

**17.03.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी श्रीमती के कविता को 15.03.2024 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नई दिल्ली ने दिनांक 16.03.2024 के आदेश के तहत उन्हें 23.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया है। 15.03.2024 को हैदराबाद में सुश्री के कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को श्रीमती के कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि सुश्री के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित एएपी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची। इन सहायता के बदले में वह एएपी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों से, एएपी के लिए थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध धन का एक निरंतर प्रवाह उत्पन्न हुआ। इसके अलावा, श्रीमती के कविता और उनके सहयोगियों को एएपी को अग्रिम भुगतान की गई अपराध की आय की वसूली करनी थी और इस पूरी साजिश से अपराध की आय को आगे बढ़ाना था।

अब तक, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में 245 स्थानों पर तलाशी ली है। मामले में अब तक एएपी के मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ईडी ने मामले में अब तक 1 अभियोजन शिकायत और 5 पूरक शिकायतें दर्ज की हैं।

इसके अलावा, अपराध से प्राप्त आय में से, अब तक 128.79 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों का पता लगाया गया है और दिनांक 24.01.2023 और 03.07.2023 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क की गई हैं। दोनों कुर्की आदेशों की पुष्टि न्यायनिर्णय प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा की गई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।